



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2606 /2026

सत्यम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: नीरज तोमर

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री नीरज तोमर, मुखबिर के अधिवक्ता श्री ऋषभ शुक्ला, राज्य के अधिवक्ता राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखा।
3. आवेदक मामला अपराध संख्या 933/2025, धारा 103(1), 238(बी), 61(2)ए बी.एन.एस. के अंतर्गत,, पुलिस स्टेशन कोटवाली देवबंद, जिला सहारनपुर में मुकदमा लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। यह पिकेश उर्फ काला और उसकी पत्नी श्रीमती काजल के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खिलाफ शक के आधार पर दर्ज की गई थी। आवेदक श्रीमती काजल का भाई है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है कि उसने अपनी बहन के प्रेमी को मार डाला था।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत मृतक व्यक्ति के साथ उसका कॉल विवरण हैं। उसके खिलाफ कोई और सबूत नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 04.11.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. मुखबिर के अधिवक्ता और राज्य विधि अधिकारी ने जमानत अर्जी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता की दलीलों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सका।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम बाद में कॉल विवरण के आधार पर सामने आया है, जो भी मामले को साबित नहीं करते हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी **मंज़ूर** की जाती है।

8. आवेदक- **सत्यम**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।